सत्यमेव जयते
न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन
COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/**Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/**Ministry of Social Justice & Empowerment**
भारत सरकार/**Government of India**
5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364
5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364
Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

मामला क्र. 13986/1023/2023

श्री आनंद कुमार वाघमारे - **शिकायतकर्ता**

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया - **प्रतिवादी**

1. कार्रवाई का सारांश:

1.1 श्री आनंद कुमार वाघमारे, जो चलने-फिरने में 40% चलन दिव्यांग (Locomotor Disability) हैं और 2015 से मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं | उन्होंने 19.04.2023 को एक शिकायत दायर की जिसमें नागपुर शाखा में बार-बार कारण बताओ नोटिस द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। उन्होंने बताया कि उप-क्षेत्रीय प्रमुख और एचआर अधिकारियों से हुई चर्चाओं के अनुसार, उन्हें 25.07.2022 से प्रतिदिन 75 आरटीजीएस/एनईएफटी लेन-देन की जांच का कार्य सौंपा गया था जो की उन्होंने शाखा छोड़ने से 1–2 महीने पहले एचआर अधिकारी को एसएमएस के माध्यम से सूचित कर दिया था। उन्हें 01.04.2023 का कारण बताओ नोटिस मिलने पर बहुत आश्चर्य हुआ, जो उनके कार्यों से 27.03.2023 से 31.03.2023 तक संबंधित था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें नियमित कार्य समय के बाद काम करने के लिए मजबूर किया गया और आंतरिक परिपत्रों की अनदेखी की गई। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें उनकी दिव्यांगता के मद्देनजर कार्य करने दिया जाए और उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

1.2 26.05.2023 को उत्तर में, उप महा प्रबंधक–एचआर ने कहा कि शिकायतकर्ता

अक्सर 75 लेन-देन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते थे और शाखा प्रमुख को सूचित किए बिना कार्य अधूरा छोड़ देते थे जिससे ग्राहकों को असुविधा होती थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता ने शून्य (खाली) एसेट/लायबिलिटी स्टेटमेंट जमा किए और कारण बताओ नोटिस जारी करना केवल प्रक्रियात्मक कदम है, उत्पीड़न नहीं। प्रतिवादी ने जोर देकर कहा कि नागपुर क्षेत्र के 16 अन्य दिव्यांग कर्मचारियों ने इसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है।

1.3 28.07.2023 को अपने प्रत्युत्तर में, शिकायतकर्ता ने अपने दावे दोहराए, उत्तर से असंतोष व्यक्त किया और आरोप लगाया कि पूर्व शाखा प्रबंधक, श्री मंथापुरवार (जुलाई 2023 में सेवानिवृत्त) ने उनके प्रति गाली-गलौज का प्रयोग किया। फिर भी शाखा प्रबंधक से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया और उन्हें कार्य में वापसी के संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई औपचारिक सूचना नहीं दी गई।

2. सुनवाई :

2.1 दिनांक 02.04.2025 को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन/ऑफलाइन) में सुनवाई आयोजित की गई। सुनवाई में निम्नलिखित पक्ष/प्रतिनिधि उपस्थित थे:

Sl.No.	पक्ष/प्रतिनिधि का नाम	शिकायतकर्ता/प्रतिवादी	उपस्थिति का मोड
1.	श्री आनंद कुमार वाघमारे	शिकायतकर्ता	ऑनलाइन
2.	श्री अम्बरीश कुमार सिंह (डीजीएम)	प्रतिवादी	ऑनलाइन

3. अवलोकन और सिफारिशें:

3.1 प्रारंभ में, शिकायतकर्ता से मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताने को कहा गया; हालांकि, उनके मौखिक विवरण उनकी मूल शिकायत से भिन्न थे। अदालत ने देखा कि मामला दिव्यांगता-आधारित उत्पीड़न से संबंधित नहीं है । यह नोट किया गया कि शिकायतकर्ता को दिया गया कारण बताओ नोटिस सतर्कता का कदम प्रतीत होता है, उत्पीड़न का कार्य नहीं। कार्यस्थल सहयोग पर जोर देते हुए, अदालत ने सलाह दी कि अनुपस्थिति के दौरान सहकर्मी एक-दूसरे का समर्थन करें और शिकायतकर्ता को प्रबंधन के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण कार्य संबंध बनाए रखने का आग्रह किया।

3.2 शिकायतकर्ता को सलाह दी गई कि वे अपने दिव्यांगता प्रमाणपत्र को पुनः सत्यापित करें, क्योंकि वर्तमान प्रमाणपत्र जिसमें 10% दिव्यांगता बताई गई है, अपर्याप्त प्रतीत होती है। उन्हें उचित और अद्यतन दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने और अपनी दिव्यांगता के कारण उत्पीड़न का अनुभव न करने की सलाह दी गई। इन अवलोकनों के साथ, अदालत इस मामले को बंद करने पर विचार कर सकती है।

3.2 तदनुसार मामले का निपटारा किया जाता है।

(एस. गोविन्दराज)
आयुक्त, दिव्यान्गजन

न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन
COURT OF THE CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/**Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/**Ministry of Social Justice & Empowerment**
भारत सरकार/**Government of India**
5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075; दूरभाष : (011) 20892364
5th Floor, N.I.S.D. Bhawan, G-2, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075; Tel.: (011) 20892364
Email: ccpd@nic.in; Website: www.ccdisabilities.nic.in

Case No.13986/1023/2023

Shri Anand Kumar Waghmare - **Complainant**

Vs.

The Chairman/Managing Director
Union Bank of India - **Respondent**

1. Gist of the Proceedings:

1.1 Shri Anand Kumar Waghmare, a person with 40% locomotor disability and serving as a Manager since 2015, filed a complaint on 19.04.2023 alleging harassment through repeated show-cause notices at the Nagpur branch, where he has been posted since 30.07.2021. He stated that, per discussions with the Deputy Regional Head and HR Officers, he had been assigned to verify 75 RTGS/NEFT transactions daily since 25.07.2022. He had informed the HR Officer via SMS over 1–2 months before leaving the branch. He was shocked to receive a show-cause notice dated 01.04.2023 (served on 10.04.2023) related to his duties from 27.03.2023 to 31.03.2023. He claimed he was forced to work beyond official hours and with disregard for internal circulars. He requested to be allowed to perform duties considering his

disability without facing harassment.

1.2 In the reply dated 26.05.2023, the Deputy General Manager–HR stated that the complainant often failed to meet the target of 75 transactions, left work incomplete without informing the Branch Head and caused customer inconvenience. They also claimed he submitted blank asset/liability statements and that issuing a show-cause memo is a procedural step, not harassment. The Respondent emphasised that 16 other PwD staff in the Nagpur region have not raised similar concerns.

1.3 In his rejoinder dated 28.07.2023, the Complainant reiterated his claims, expressed dissatisfaction with the response, and alleged that the previous Branch Manager, Shri Manthapurwar (retiring in July 2023), used abusive language against him. Still, no explanation was sought from the BM, and no formal communication regarding the resumption of duty has been issued to him by the competent authorities.

2. Hearing:

2.1 A hearing in hybrid mode (online/offline) was conducted on 02.04.2025. The following parties/representatives were present during the hearing:

Sl.No.	**Name of the Attendees**	**On Behalf of**	**Mode of Attendance**
1.	Sh. Anand Kumar Waghmare	Complainant	Online
2.	Sh. Ambarish	Respondent	Online

	Kumar Singh (DGM)		

3. Observations and Recommendations:

3.1 At the outset, the Complainant was asked to state the facts of his case briefly; however, his oral submissions differed from the claims made in his original complaint. The Court observed that the matter did not involve disability-based harassment and did not warrant prolonged deliberation. It noted that the show-cause notice served to the complainant appeared to be a cautionary measure rather than an act of harassment. Emphasising workplace cooperation, the Court advised that colleagues are expected to support each other during absences and encouraged the Complainant to cooperate with the management. The court urged both parties to foster a peaceful and harmonious working relationship. The Complainant was advised to re-verify his disability certificate, as the existing certification indicating 10% disability appears insufficient. He is encouraged to obtain an appropriate and updated disability certificate and not perceive himself as being harassed on account of his disability. With these observations, the Court may consider closing the matter.

4. Accordingly, this case is disposed of.

Digitally signed by
S Govindaraj
Date: 09-12-2025
17:01:34

(S.Govindaraj)
Commissioner for Persons with Disabilities